

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या : 32/2024  
दायर दिनांक : 03.05.2024  
निर्णय दिनांक : 25.06.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्रकुमार पुत्र छोगालाल जाति ब्राह्मण, निवासी दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा
2. योगेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
3. रविन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
4. शिवकुमार पुत्र छोगालाल जाति ब्राह्मण, निवासी दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा
5. सत्येन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
6. सुमन पुत्री रमेशचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.97 है. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होकर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर अप्रार्थीगण को भू-सुधार एवं कृषि प्रयोजन किए जाने की विधि में निहित प्रावधानों के तहत अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त उक्त कृषि भूमि का अन्य उपयोग/उपभोग/परिवर्तन इत्यादि किए जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है जो अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा उक्त भूमि पर प्लाटिंग व दुकान संचालित कर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का स्वरूप बिगाडने व कृषि से भिन्न उपयोग/उपभोग बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया गया है, जो बेदखल योग्य होकर वर्णित भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के खातेदारी अधिकार विलोपित कर राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी  
दौसा (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार पारीक द्वारा पावर पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उनवानी प्रकरण न्यायालय के समक्ष गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6

द्वारा कोई विधि विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है क्योंकि ग्राम दौसा कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.97 है. के संबंध में धारा 90ए के तहत सक्षम प्राधिकारी नगरपरिषद् दौसा के समक्ष आवेदन किया जा चुका है तथा कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उपरोक्त उनवानी प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित करने का निवेदन किया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी का उपयोग परिवर्तन करने हेतु सक्षम कार्यालय नगरपरिषद् दौसा के समक्ष आवेदन किया जा चुका है। उक्त आवेदन के साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा कुल 96000 रुपये का अग्रिम शुल्क भी राजकोष में जमा करवाया जा चुका है। उक्त आवेदन वर्तमान में सक्षम कार्यालय नगरपरिषद् दौसा के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई हक अधिकारी नहीं है कि वह प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल करवाकर भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित करवाये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं प्रश्नगत आराजी से स्थगन आदेश भी समाप्त किया जावे ताकि सक्षम कार्यालय द्वारा भूमि का उपयोग परिवर्तन किया जा सके। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी के खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रश्नगत आराजी को बिना सक्षम कार्यालय की अनुमति के कृषि से भिन्न उपयोग में लेने के प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी के उपयोग परिवर्तन का आवेदन सक्षम कार्यालय नगरपरिषद् दौसा के समक्ष विचाराधीन है। अपने जवाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा नगरपरिषद् दौसा के समक्ष किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रश्नगत आराजी के भूमि उपयोग परिवर्तन का आवेदन सक्षम कार्यालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.97 है. वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा का भूमि उपयोग परिवर्तन का आवेदन सक्षम कार्यालय के समक्ष विचाराधीन है तो प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को प्रश्नगत आराजी से बेदखल कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगनादेश भी खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को निर्देशित किया जाता है कि 06 माह की अवधि के भीतर सक्षम कार्यालय से प्रश्नगत आराजी के उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त की जावे, अन्यथा भविष्य में प्रार्थी तहसीलदार दौसा पुनः समान धारान्तर्गत प्रकरण बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



( मनीष कुमार जाटव )  
उपखण्ड अधिकारी, दौसा  
उपखण्ड अधिकारी  
दौसा (राज०)